

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

Order No. 18/6-2021 PGT-II (7)

Dated, Chandigarh, the 02.03.2022

Sanction is hereby accorded in favour of Smt. Sushila Rani, PGT Economics (Rest of Haryana), Govt. Girls Sr. Sec. School, Kairu (Bhiwani) for pay Protection of Rs. 49000/-w.e.f. 19.12.2018 under rule 10 (ii) of Haryana Civil Services (Pay) Rules-2016, on account of service rendered by her as PGT Economics (Mewat Cadre) from 04.08.2017 to 19.12.2018.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
HARYANA, PANCHKULA**


**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL SECONDARY
EDUCATION, HARYANA PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, The 7/3/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, **Bhiwani** w.r.t. to their Memo. No. E-2-21/7286 dt. 13.10.2021 alongwith Service Book of the official is sent herewith.
3. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Kairu (Bhiwani).
4. Smt. Sushila Rani, PGT Economics (Rest of Haryana), Govt. Girls Sr. Sec. School, Kairu (Bhiwani)
5. IT Cell (Local) for upload the orders on department's website.


**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PACHKULA**



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/64-2020 PGT-II (9)

Dated, Panchkula, the 07.03.2022

Smt. Jagmeet Grewal, PGT in Economics, Govt. Sr. Sec. School, Mandhana, Panchkula is hereby granted child care leave from 14.03.2022 to 13.04.2022, subject to fulfilment of the provisions or Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**J. GANESAN, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 07-03-2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:

1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. E-I/22/8234 dated 04.03.2022.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Mandhana, Panchkula.
3. Smt. Jagmeet Grewal, PGT in Economics, Govt. Sr. Sec. School, Mandhana, Panchkula.
4. I.T. Cell.


**Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

No. 16/10-2020 PGT-III(2)

Dated, Chandigarh, the 02.03.2022

Sanction is hereby accorded for Pay Protection of Smt. Madhu Bala, PGT Commerce, Govt. Senior Secondary School, Mohabbatpur, Hisar in Basic Pay of Rs. 50500/- w.e.f. 01.03.2019 under rule 10 (ii) of Haryana Civil Service (Pay) Rule, 2016.

**Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
School Education Department, Chandigarh.**


**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 8-3-2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Hisar w.r.t. E-6/2021/7826 dated 16.11.2021. **Service Book of the official is enclosed herewith.** (Registered Post)
3. Principal/Headmaster, Govt. Senior Secondary School, Mohabbatpur, Hisar.
4. Smt. Madhu Bala, PGT Commerce, Govt. Senior Secondary School, Mohabbatpur, Hisar.
5. IT Cell (H.Q) for uploading the orders on the official website.
6. Office Record Copy.


**Dy. Superintendent PGT-III
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula.**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

ORDER

No. 12/22-2022 ADMN. (2)

DATED PANCHKULA, THE 04.03.2022

Smt. Ompati, Registrar Education O/o Director General Secondary Education Haryana, Panchkula is hereby appointed as Nodal Officer for Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited.

Particulars of the Nodal officer are as under:-

Sr. No.	Name & Designation	Telephone No. and Mobile No.	Email ID
1.	Smt. Ompati, Registrar Education	9417868972	Educationharyana123@gmail.com


**J. GANESAN, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 8/3/22

A copy is forwarded to the following for the information and necessary action:-

1. Joint Director (Technical), O/o CEO, HKRN-cum-Director, Skill Development & Industrial Training Development Haryana, Panchkula w.r.t their letter No. SDIT/HKRN Limited/2021/11587 dated 09.09.2021.
2. PS/DGSE.
3. PA/Additional Director Model Sanskriti Schools.
4. PA/Additional Director Admn I & II.
5. PA/Additional Director (Academic).
6. Smt. Ompati, Registrar Education O/o Director General Secondary Education Haryana, Panchkula and a copy of order dated 09.09.2021 received from Joint Director (Technical), O/o CEO, HKRN-cum-Director, Skill Development & Industrial Training Development Haryana, Panchkula is also enclosed for necessary compliance.
7. All Officers/Superintendents in the Directorate.
8. All District Education Officer's in the State.
9. All District Elementary Education Officer's in the State.
10. IT Cell (HQ) for the purpose of uploading.


**ASSISTANT DIRECTOR ADMN.
for DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

School Education, Haryana

विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

नयनी मा ज्योतिर्गमय

Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक: 23/15-2020 PS(4)

दिनांक, पंचकुला 04.03.2022

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003 के नियम 42(2)III में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्धक DLF Qutab Enclave Complex Educational Charitable Society, Gurgaon के द्वारा संचालित Summer Fields School, DLF City, Phase-I, Gurugram को DLF Qutab Enclave Complex Educational Charitable Trust, 4th Floor, Gopal Dass Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001 द्वारा संचालित करने की अनुमति संस्था को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विभाग के आदेश दिनांक 30.08.1994 के तहत प्रदान किये गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तें एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003, 2007 व 2009 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करती रहेगी।

जे. गणेशन, आई०ए०एस०
 महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकण क्रमांक - सम

दिनांक, पंचकुला : 4-3-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक DLF Qutab Enclave Complex Educational Charitable Trust, 4th Floor, Gopal Dass Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
5. प्राधानाचार्य, Summer Fields School, DLF City, Phase-I, Gurugram.

✓ आई०टी० सैल

18/3/2022
 Aardhelli

04/03/2022

अधीक्षक पी०एस०
 कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसे वा अंधारमोक्ष
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER NO. 2/5-2021 HRME (4)

DATED, PANCHKULA: 07.03.2022

The transfer order of Sh. Bijender Singh[33741], Assistant from O/o DEO Rewari [4096] to O/o BEO Nahar [5077], (Rewari) issued vide order No. 2/5-2021 HRME (4) dated 04.03.2022 is hereby cancelled with immediate effect.


J.GANESAN
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED PANCHKULA, 07.03.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. District Education Officer concerned.
2. Head of the institution concerned.
3. Official concerned.
4. Secy. OSD/CM
5. Sr. PS/E.M.
6. Sr. PS/ACSSE
7. PS/DSE
8. Technology officer (HQ). He is requested to upload the database as well as upload the order at Department website please.


SUPERINTENDENT HRME-I
For DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



ORDER NO. 2/5-2021 HRME (4)

DATED, PANCHKULA: 07.03.2022

The following Clerk is hereby transferred/adjusted with immediate effect.

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/ Adjusted to	Remarks
1.	Sh. Dinesh Kumar, Assistant Employee ID: 066377	DEO Gurugram [4140] under transfer to DEO Rewari [4096]	Now adjusted in BEO Nahar [5077], Rewari	Against vacant post

Note :-

1. The official will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
4. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his seniority in case of requested transfer orders.
5. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
6. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.


J.GANESAN
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

DATED PANCHKULA, 07.03.2022

ENDST. NO. EVEN

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. District Education Officer concerned.
2. Head of the institution concerned.
3. Official concerned.
4. Secy. OSD/CM
5. Sr. PS/E.M.
6. Sr. PS/ACSSE
7. PS/DSE
8. Technology officer (HQ). He is requested to upload the database as well as upload the order at Department website please.


SUPERINTENDENT HRME
For DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ORDER

Order No. 5/24-2021 HRME-I (3)

dated, Panchkula, 7.2.2022

Whereas, Smt. Kanta, the then Dy. Superintendent now Superintendent O/o District Education Officer, Rohtak was charge-sheeted U/R 8 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 vide order No. 5/24-2021 HRME-1 (3) dated 27.09.2021 with the charges that she omitted to perform her duties in proper manner and the civil appwal No. 87 of 2017 titled as Suresh Singh and another V/s State of Haryana and others was not pursued by her. Due to which, the appeal was accepted by the Hon'ble Appellate Court on 16.11.2018, resulting unnecessary burden upon State Exchequer.

The delinquent submitted the reply to the chargesheet on 14.10.2021 and denied the charges levelled against her and further prayed to drop the chargesheet issued against her. Thereafter, the delinquent was given an opportunity of personal hearing on 11.02.2022, wherein she reiterated the same facts as were submitted by her in the reply to the charge-sheet.

Therefore, after going through the official record of the delinquent, I am of the considered view that behaviour of Smt. Kanta was indeed negligent, hence the penalty of stoppage of two annual increments without cumulative effect is hereby inflicted upon Smt. Kanta, Superintendent O/o District Education Officer, Rohtak.

I, order accordingly.

1
J. GANESAN, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

To
Regd.

Smt. Kanta, Supdt.
O/o District Education Officer, Rohtak.

ENDST. No. Even

Dated, Panchkula, 7/3/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. District Education Officer, Rohtak.
2. IT Cell (Head Quarter).

N. Saini
4/3/22
SUPERINTENDENT HRME-I
for DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

No. 4/23-2021 HRME-II (2)

Dated, Panchkula, the 07.03.2022

The following Class-IV (Group-D) employees are hereby transferred as new appointment by transfer basis with immediate effect:-

S/N.	Name Sh/ Smt., Designation, DOA	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Bala Devi, Class-IV [5024062]	GSSS, Kailram [2274] Kaithal	BEO [5026] Kaithal	A/V
2.	Shansher Singh, Class-IV [5023355]	GSSS, Balu [2154] Kaithal	GMS, Pinju Pura [4420] Kaithal	A/V

Note:-

1. The employee be joined on the same post as working on prior station.
2. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
3. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
4. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
5. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
6. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
7. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
8. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

S. SINGH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/23-2021 HRME-II (2)

Dated Panchkula, the:- 07/03/2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. District Education Officer concerned.
4. Concerned Institution.
5. Official concerned.
6. IT Cell.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.

Sh. S. Singh
DY. SUPERINTENDENT HRME-II
for DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate General School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Reqd.

To

District Education Officer,
 Sonipat.

Memo No. **12/3-2022 HRG-I (3)**

Dated, Panchkula, the 08.03.2022

**Subject: Permission to go abroad – Smt. Santosh, Principal GSSS
 Rajpur Distt. Sonipat.**

Kindly refer to your letter No. E-7/2022/3683 dated 24.02.2022 on the subject cited above.

The permission is hereby accorded to **Smt. Santosh, Principal GSSS Rajpur Distt. Sonipat** from **14.03.2022 to 25.03.2022** to visit Australia to meet her Son on the following conditions:-

1. That she will obtain prior permission from competent authority after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. Job in abroad.
4. That there will no financial burdens on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be effected in anyway due to his going to abroad.

Superintendent HRG-I
For Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 08.03.2022

A copy is forwarded to following for information and necessary action:-

1. **Smt. Santosh, Principal GSSS Rajpur Distt. Sonipat**
2. IT Cell (Local).

Superintendent HRG-I
For Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula






GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Hamirgarh [1739], Jind

यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 463

दिनांक पंचकुला 05-03-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Hamirgarh [1739] (Jind)	Const. of Shed	1853000.00
	कुल राशि	1853000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला- 7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14 / 01 / 2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, जींद / हिसार।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, जींद / हिसार
8. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा मे,

Principal GMSSSS Ladrawan [3122 (Jhajjar)
Principal GMSSSS Hassanpur [3087] (Jhajjar)
Principal GMSSSS Bahadurgarh[3109] (Jhajjar)
यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 441
दिनांक पंचकुला 28-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021. की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Ladrawan [3122 (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
2 GMSSSS Hassanpur [3087] (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
3 GMSSSS Bahadurgarh[3109] (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	3000000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, झज्जर।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)

S. J. Singh
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Bass [430] (Hisar)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 435

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring) .

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Bass [430] (Hisar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्च शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला-7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, हिसार
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय, शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा मे,

Principal GMSSSS Shahzadpur [40] (Ambala)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 434

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Shahzadpur[40] (Ambala)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7-03-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, अम्बाला
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sunil Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Naraingarh [30] (Ambala)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 439

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Naraingarh [30] (Ambala)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए घरचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, अम्बाला
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Nigdhu [1800] (Karnal)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 442

दिनांक पंचकुला 28-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-21 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Nigdhu [1800] (Karnal)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, करनाल।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Khairi [2321] (Kurukshetra)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 438

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation: Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS GMSSSS Khairi [2321] (Kurukshetra)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 20.3.22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण

कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला। 2



सेवा में,

Head Master GHS-Hamirgarh [1739], Jind

यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 463

दिनांक पंचकुला 05-03-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Hamirgarh [1739] (Jind)	Const. of Shed	1853000.00

कुल राशि

1853000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14 / 01 / 2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, जींद/हिसार।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, जींद/हिसार
8. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sankar Singh
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Ladrawan [3122] (Jhajjar)

Principal GMSSSS Hassanpur [3087] (Jhajjar)

Principal GMSSSS Bahadurgarh[3109] (Jhajjar)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 441

दिनांक पंचकुला 28-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021. की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:--

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Ladrawan [3122] (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
2 GMSSSS Hassanpur [3087] (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
3 GMSSSS Bahadurgarh[3109] (Jhajjar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	3000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:--

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, झज्जर।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)

Sanyal
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Bass [430] (Hisar)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 435

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Bass [430] (Hisar)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, हिसार
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Santosh Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय, शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Shahzadpur [40] (Ambala)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 434

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Shahzadpur[40] (Ambala)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7-03-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, अम्बाला
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा मे,

Principal GMSSSS Naraingarh [30] (Ambala)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 439

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Naraingarh [30] (Ambala)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचैज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non

Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, अम्बाला
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Nigdhu [1800] (Karnal)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 442

दिनांक पंचकुला 28-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-21 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Nigdhu [1800] (Karnal)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबंध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, करनाल।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)

Sandhu Kaur
उप अधीक्षक निमाण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NUMBER & DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS Khairi [2321] (Kurukshetra)

यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) Group: 438

दिनांक पंचकुला 25-02-2022

विषय

Installation Solar Panel under 47 Store & equipment scheme वर्ष 2021-22
(Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-21 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/109-2021 Works (1) दिनांक 27.07.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 5000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कोटेशन आधार पर सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS GMSSSS Khairi [2321] (Kurukshetra)	Installation of Solar Panel	1000000.00
	कुल राशि	1000000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर विद्यालय में सोलर पैनल लगवाने के लिए परचेज कमेटी की देख-रेख में कार्य सम्पन्न करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 सोलर पैनल लगवाने के संबध में खरीद का कार्य हरेडा/कोटेशन के आधार पर/जैम से किया जाए।
- 3 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय के लिए अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - 47 Store & equipment (Recurring/ Non Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठाकन क्रमांक 2/109-2021 Works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 7.03.22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
10. सहायक निदेशक, अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला। 2